न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

(राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर, लिंक ऑफीसर)

अपील सं. 133/2017 (223 आरटीए) जुगताराम बनाम कमलाराम वगै.

जुगताराम पुत्र हमीराराम जाति नाई निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर।

.... अपीलांट

बनाम

1 कमलाराम पुत्र हमीराराम जाति नाई निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

2 दशरथ शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खांगला मौहल्ला बाड़मेर।

3 पुखराज गौड़ पुत्र भंवरलाल गौड़ जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर

4 तहसीलदार बाड़मेर।

5 सुरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सफेद आंकडा बाड़मेर गादान तहसील बाड़मेर।

.... रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर
दिनांक 11.07.2015 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 19/2011

उपस्थित :

1 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बांकाराम।

2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम।

3 रेस्पो. सं. 2, 3, व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

4 रेस्पो. सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री हाजी खां।

निर्णय

दिनांक : 01.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 597 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा खसरा नं. 618 रकबा 3

बिस्वा मौजा महाबार पीथल व खसरा नं. 692/625 रकबा 59 बीघा 6 बिस्वा मौजा सांसियों का तला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील बाड़मेर में स्थित हैं। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है। परंतु प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से कुछ भूमि को प्रतिवादी सं. 2 व 3 को बेचान कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में हिस्सा खुला नहीं हैं तथा भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अतः बंटवारा करने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रकरण का अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.07.2015 को कैंप कोर्ट में राजीनामा मय बंटवारा प्रस्ताव पेश होने पर दावा डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है एवं अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पेश किया है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बांकाराम ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा–5 प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट को दिनांक 30.08.2017 को आलोच्य निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई। जानकारी के अभाव में सद्भाविक रूप से हुए बिलंब को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील पत्र पर बहस जारी रखते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार तैयार नहीं किए हैं। रेस्पो. सं. 1 ने अपीलांट के साथ मिली भगत करते हुए राजीनामा की आड़ में गलत विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया व उसके आधार पर आलोच्य निर्णय व डिक्री जारी की गई है जो अपास्त करने योग्य है।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम ने अपनी बहस में कथन किया कि लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर बंटवारा हुआ है। भूमि में बंटवारा कब्जा काश्त के अनुसार ही सही किया है तथा सभी पक्षकारान की सहमति व राजीनामा के आधार पर किया है। प्रकरण में अपीलांट ने अपील देरी से पेश की है। धारा–5 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट की ओर से गलत तथ्य पेश किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने सहमति दी है एवं राजीनामा तथा बंटवारा प्रस्ताव पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर हैं अतः अपीलांट को इस प्रकरण की हर स्टेज पर जानकारी थी अतः धारा–5 का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपील को मियाद से बाहर माना जावे। अतः प्रस्तुत अपील मियाद एवं मैरिट

दोनों बिंदुओं पर खारिज योग्य है।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 यह अपील देरी से पेश की गई है। धारा-5 के प्रार्थना पत्र में देरी को माफ करने के लिए दिए गए तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा करते समय व निर्णय एवं डिक्री पारित होने के समय दिनांक 11.07.2015 को स्वयं उपस्थित था। अतः अपील में हुई देरी को कंडोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा-5 खारिज किया जाता है। इसके अलावा यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर निर्णित किया गया है। तहसीदार बाड़मेर ने भी पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर ही बंटवारा प्रस्ताव एवं अपनी रिपोर्ट पेश की गई है। राजीनामा एवं बंटवारा प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं तथा ग्राम पंचायत के सरपंच के भी हस्ताक्षर हैं। प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण राजीनामा एवं लोक अदालत की भावना से किया गया है अतः इसकी अपील पेश नहीं की जा सकती। इस आधार पर अपील मैंटेनेबल भी नहीं हैं।

8 अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं मैंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

1/2/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
(लिंक अधिकारी)

9 निर्णय आज दिनांक 01.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/2/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
(लिंक अधिकारी)

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर कैम्प बालोतरा

बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस

(राजस्व अपील अधिकारी,जोधपुर,लिंक ऑफीसर)

अपील संख्या 133 / 2017

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.जुगताराम पुत्र हमीराराम जाति नाई निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.कमलाराम पुत्र हमीराराम जाति नाई निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर। 2.दशरथ शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खांगला मौहल्ला बाड़मेर। 3.पुखराज गौड़ पुत्र भवंरलाल गौड़ जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर। 4.तहसीलदार बाड़मेर। 5.सुरेन्द्रसिह पुत्र रामसिह जाति राजपुरोहित निवासी सफेद आंकडा बाड़मेर गादान तहसील बाड़मेर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री उपखण्ड अधिकारी,बाड़मेर दिनांक 11.07.2015 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 19 / 2011

यह अपील बतारीख 01 / 02 / 2018 बहाजरी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी एवं रेस्पोडेंट सख्यां 1 की ओर अधिवक्ता श्री गंगाराम। रेस्पोडेन्ट सख्यां 2,3,व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सख्यां 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री हाजी खां उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं मैंटेनेबल नही होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2015 यथावत रखे जाते है खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 01.02.2018 को जारी हो किया गया।

(हस्ताक्षर) 1/2/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

(लिंक अधिकारी)

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

(हस्ताक्षर) 1/2/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

(लिंक अधिकारी)